न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपीलांट

भरतसिंह पुत्र श्री हबतसिंहजी जाति राजपूत निवासी सिन्दरू, तहसील सुमेरपुर जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भूमिधारी सुमेरपुर, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।
2. कार्यालय पुनिस थाना साण्डेराव जरिये थाना अधिकारी, पुनिस थाना साण्डेराव तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मोहम्मद शरीफ काजी, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ओर से
रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांकः– 29.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश क्रमांकःएफ.12(3)(21)राज./18/2742 दिनांक 21.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम वकील अपीलांट की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला कलक्टर पाली द्वारा पुलिस थाना साण्डेराव के निर्माण हेतु खसरा संख्या 359 गै. मुमकिन पहाड में 7 बीघा भूमि आवंटन की गई है। उक्त भूमि गैर मुमकिन पहाड है एंव खनन कार्य हेतु संभावित व आरक्षित भूमि है। अपीलांट द्वारा उक्त आराजी पर खनन कार्य हेतु दिनांक 10.10.2008 द्वारा आवेदन पेश किया, जिसमें खनिज विभाग द्वारा तमाम कार्यवाहीयां पूर्ण कर दी गई है। एवं अपीलांट उक्त भूमि पर 20 वर्षो से काबिज काश्त है। उक्त आराजी का आवंटन पुलिस थाना साण्डेराव हेतु होन से अपीलांट उक्त आवंटन से सीधा प्रभावित है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वकील रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रेकर्ड में पहाडी एवं पर्वत (चारागाह हेतु) दर्ज है। अपीलांट का उक्त वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज काश्त है। अत अपीलांट को सुना जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्धान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट 20 वर्षो से काबिज है। इस संबध में अपीलांट द्वारा संवत 2064 से 2075 तक की खसरा परिवर्तनशील की नकले प्रस्तुत की है। अपीलांट द्वारा उक्त भूमि जो गैर मुमकिन पहाड की भूमि है उक्त भूमि को लीज डीड प्राप्त करने हेतु दिनांक 10.10.2008 को खनन विभाग सोजत सिटी में आवेदन पेश किया व एक्लोजमेन्ट खनिज विभाग द्वारा फार्म नंबर 02 जारी किया गया, दिनांक 16.02.2009 को रूपये 1000/– जमा करवाया गया। इस बाबत खनिज विभाग अभियंता द्वारा दिनांक 10.02.2009 को अपीलांट को 13.01.2009 को खनन पट्टा हेतु प्रक्रिया पूर्ण करने बाबत पत्र दिया। एवं उसके पश्चात जानकारी हेतु स्थाई बिन्दु बाबत जानकार उपलब्ध करवाने बाबत कार्यवाही की गई व दिनांक 01.02.2009 को पालना रिर्पोट मय नक्शा पेश किया गया। दिनांक 18.03.2009 को कार्यालय खनिज अभियन्ता सोजत सिटी द्वारा सीमा चिन्ह व नक्शा जारी किया गया। इस प्रकार खनिज विभाग द्वारा पूर्ण प्रक्रिया कर ली गई है। इसके अतिरिक्त राजस्व ग्रुप 03 विभाग क्रमांक प.3(8) राजस्थान–3/96 के जरिये समस्त जिला कलक्टर को परिपत्र जारी कर मायनिंग लीज क्षेत्र में क्रम संख्या 05 के अनुसार आवंटन व नियमन के जरिये हस्तानान्तरण करने हेतु निषेध माना गया है। इसी प्रकार खान ग्रुप(2) विभाग क्रमांक प.7(17) खान/ग्रुप/2 के जरिये समस्त खनिज अभियन्ता व सहायक खनिज अभियन्ता को परिपत्र जारी कर खनिज संभावित क्षेत्र को आवंटन योग्य भूमि नहीं माना है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उक्त परिपत्रो का नजरअंदाज करते हुए जैर आवंटन आदेश पारित किया है। जैर आवंटन आदेश द्वारा 7 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जबकि भू राजस्व अधिनियम 1963 के तहत उक्त आराजी आवंटन नियम के अनुसार आवंटन योग्य नहीचं है। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.06.2018 को सहायक कलक्टर सुमेरपुर में उक्त आराजी के संबध में खातेदारी बाबत दावा भी प्रस्तुत कर दिया है। अपीलांट द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में खनन कार्य हेतु लीज आवेदन कर रखा है एवं उसकी प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर आवंटन आदेश विधिवत पारित नहीं किया है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश अपास्त करावे। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के पक्ष में आवंटन आदेश पारित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता की ओर से बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय भूमि दर्ज है। अपीलांट उक्त आराजी पर बतौर अतिक्रमी काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आवंटन आदेश विधिसम्मत हैं। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत सिन्दरू ग्राम सिन्दरू तहसील सुमेरपुर के खसरा संख्या 359 रकबा 8.021 हैक्टेयर आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न उपखण्ड अधिकारी सुमेरपुर की मौका रिर्पोट दिनांक 16.05.2018 के अनुसार "जिसमें वादग्रस्त आराजी पूर्ण रूप खाली होना मानते हुए उक्त आराजी पर किसी भी प्रकार का काई अतिक्रमण नही होना बताया है।" जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है एवं मौके पर खाली है। एवं अगर अपीलांट उक्त आराजी पर काबिज काश्त भी है तो वह अतिक्रमी के रूप में काबिज है। यह स्वीकृत_तथ्य है कि प्रकरण में प्रश्नगत भूमि कि किस्म गैर मुमकिन पहाड एवं पर्वत (चारागाह हेतु) है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है एवं साथ ही सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में होने से आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस0एल0पी0 3109/2011 जगपालसिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य में दिनांक 28.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए कॉमन लैण्ड में अनाधिकृत कब्जे को खाली कराने के निर्देश दिये गये है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का मुख्य उद्देश्य ही राजकीय भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राजकीय दर्ज है, जिसे राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया की पालना करते हुए आवंटन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है तथा जिला कलक्टर पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.06.2018 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.03.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली